न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मनीष कुमार जाटव, (आर॰ए॰एस॰)
प्रकरण संख्या	:	39/2023
दायर दिनांक	:	18.07.2023
निर्णय दिनांक	:	02.08.2024

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. प्रभाती देवी पत्नी रामकिशन जाति गुर्जर, निवासी खुरी कलां तहसील दौसा जिला दौसा
2. बाबूलाल पुत्र रामसहाय जाति गुर्जर, निवासी खुरी कलां तहसील दौसा जिला दौसा
3. जयराम पुत्र गंगाधर जाति गुर्जर, निवासी खुरी कलां तहसील दौसा जिला दौसा
4. मोहरसिंह पुत्र गंगाधर जाति गुर्जर, निवासी खुरी कलां तहसील दौसा जिला दौसा
5. रामकरण पुत्र गंगाधर जाति गुर्जर, निवासी खुरी कलां तहसील दौसा जिला दौसा
6. आईडीबीआई बैंक शाखा दौसा

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खुरी कलां स्थित भूमि खसरा नम्बर 1543 रकबा 1.29 है॰ किस्म बारानी–प्रथम राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज है। प्रश्नगत भूमि का उपयोग मौके पर रास्ते सडक के रूप में ही किया जा रहा है। चूँकि राजस्व रिकॉर्ड में व भूमि उपयोग में भिन्नता है। अतः भूमि की किस्म गै॰मु॰ रास्ता परिवर्तित करवाया जाना लाजमी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम खुरी कलां के खसरा नम्बर 1543 रकबा 1.29 है॰ में से 0.03 है॰ भूमि की किस्म मौके के उपयोग के अनुसार गै॰मु॰ रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4 व 5 ने स्वयं न्यायालय में उपस्थिति होकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति दी। अप्रार्थी संख्या 2 [illegible] किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार जैन [illegible] श्री [illegible]रव कुमार जैन ने पावर पेश किया। अप्रार्थी संख्या 6 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन [illegible] कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी कृषि भूमि के विकास व कृषि उप[illegible] क्रेडिट कार्ड [illegible] के तहत् अप्रार्थी संख्या 6 के पक्ष में अपनी कृषि भूमि [illegible]रण बन्धक रखकर कृषि [illegible] ले रखा है। बैंक का बकाया ऋण चुकाये बगैर कृषि भूमि के नम्बर, रकबा व किस्म में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manish Kumar Jatav
Date: 2024.09.24 09:43:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज॰)

प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार दौसा ग्राम खुरी कलां तहसील दौसा स्थित खसरा नम्बर 1543 रकबा 1.29 है॰ में से 0.03 है॰ भूमि की किस्म मौके के उपयोग के अनुसार

गै॰मु॰ रास्ता दर्ज करवाना चाहता है। प्रश्नगत आराजी वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रश्नगत आराजी के खातेदार अप्रार्थी संख्या 2 की मृत्यु हो जाने एवं अप्रार्थी संख्या 2 का कोई विधिक वारिस न होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 का नाम पत्रावली से हज्फ किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत आराजी के शेष खातेदारों अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4 व 5 ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति जतायी है। अप्रार्थी संख्या 6 ने बैंक का बकाया ऋण चुकाये बगैर कृषि भूमि के नम्बर, रकबा व किस्म में परिवर्तन नहीं किये जाने का निवेदन किया है। चूँकि प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 1543 रकबा 1.29 है॰ में से 0.03 है॰ भूमि मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही है एवं प्रश्नगत आराजी के वर्तमान मौजूद खातेदारों द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति जतायी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम खुरी कलां तहसील दौसा स्थित खसरा नम्बर 1543 रकबा 1.29 है॰ में से 0.03 है॰ भूमि की वर्तमान किस्म बारानी–1 से खारिज की जाकर मौके पर प्रचलित रास्ते अनुसार किस्म "गै॰मु॰ रास्ता" दर्ज की जावे। उक्तानुसार दर्ज होने वाला रास्ता संबंधित खातेदारों की खातेदारी में ही रहेगा परन्तु राजस्व नक्शे व जमाबन्दी में पृथक् से खसरा नम्बर दिया जावेगा एवं रास्ते के रकबे सहित किस्म गै॰मु॰ रास्ता दर्ज की जावेगी। यदि प्रश्नगत आराजी के किसी खातेदार द्वारा वर्तमान में प्रश्नगत आराजी पर किसी वित्तीय संस्था/बैंक से कृषि ऋण ले रखा है, तो उक्तानुसार गै॰मु॰ रास्ते की भूमि के अतिरिक्त शेष रही आराजी पर कृषि ऋण का नोट यथावत रहेगा। तहसीलदार दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज॰)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manish Kumar Jatav
Date: 2024.09.24 09:43:41 IST
Reason: SelfAttested